भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3719 का उत्तर

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माण कार्य के लिए धनराशि

3719. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 5 वित्तीय वर्षों के रेल बजट के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐसी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनकी घोषणा की गई लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है;

(ख) घोषित परियोजनाओं के लिए कार्य शुरू करने हेतु धनराशि कब तक आवंटित की जाएगी;

(ग) अगले रेल बजट में विचार और समावेशन के लिए सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों के साथ 50:50 लागत साझेदारी के आधार पर विचार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किए जाते हैं न कि राज्य/जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार

फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22,754 करोड़ रुपए की लागत की कुल 941 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 14 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 13 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है। रेल परियोजनाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियां आबंटित की जाती हैं

पश्चिम बंगाल:

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 60,168 करोड़ रु. की लागत की 4,479 कि.मी. कुल लंबाई वाली 43 रेल परियोजनाएं (13 नई लाइनें, 04 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण

में हैं। इनमें से, 1655 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 20,434 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	13	1087	322	9774
आमान परिवर्तन	4	1201	854	3663
दोहरीकरण/ मल्टी-ट्रैकिंग	26	2192	479	6997
कुल	43	4479	1655	20434

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	4,380 करोड़ रु./प्रति वर्ष
2024-25	13,941 करोड़ रु. (3 गुना से अधिक)

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 866 किलोमीटर लंबाई के कुल 30 सर्वेक्षणों (03 नई लाइन और 27 दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो चुका है।

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण रुका हुआ है। पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं हेतु आवश्यक कुल भूमि	**3040 हेक्टेयर**
अधिगृहित की गई भूमि	**640 हेक्टेयर (21%)**
अधिगृहित की जाने वाली शेष भूमि	**2400 हेक्टेयर (79%)**

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)**	**अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)**	**अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में)**
1	**नवद्वीप घाट-नवद्वीप धाम नई लाइन (10 किमी)**	**106.86**	**0.17**	**106.69**
2	**चंदनेश्वर-जलेश्वर नई लाइन (41 किमी)**	**158**	**0**	**158**
3	**नैहाटी-रानाघाट तीसरी लाइन (36 किमी)**	**87.83**	**0.09**	**87.74**
4	**बालुरघाट-हिली नई लाइन (30 किमी)**	**156.38**	**67.38**	**88.00**
5	**सांइथिया (5 किमी) और सीतारामपुर (7 किमी) में बाईपास**	**22.28**	**2.22**	**20.06**

पूर्वोत्तर क्षेत्र:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 74,972 करोड़ रु. की लागत की 1,368 कि.मी. कुल लंबाई वाली 18 रेल परियोजनाएं (13 नई लाइनें और 05 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 313 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 40,549 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	13	896	81	34616
दोहरीकरण	5	472	232	5933
कुल	18	1368	313	40549

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,122 करोड़ रु./प्रतिवर्ष
2024-25	10,376 करोड़ रु. (लगभग 5 गुना)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	333 कि.मी.	66.6 कि.मी. प्रतिवर्ष
2014-24	1,728 कि.मी.	172.8 कि.मी. प्रतिवर्ष (लगभा 3 गुना)

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 1,066 किलोमीटर लंबाई के कुल 13 सर्वेक्षणों (11 नई लाइन और 02 दोहरीकरण) का कार्य पूरा हो चुका है।

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली कोई भी परियोजना लागत भागीदारी वाली नहीं है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत वहन परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के हिस्से को जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, किसी परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****